रामनाथ बनाम धनकंवर

अपील संख्या : 2023/ 181

15.09.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री मुकेश खरोल द्वारा यह अपील माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कोटा जिला कोटा के आदेश दिनांक 10.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.07.2023 कानून एवं रूयदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार न कर खारिज करने में त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नंबर 142 की 0.12 हेक्टर, खसरा नंबर 143 की 0.16 हेक्टर, खसरा नंबर 148 की 0.15 हेक्टर, खसरा नंबर 148 की 0.17 हेक्टर, खसरा नंबर 155/529 की 0.05 हेक्टर, खसरा नंबर 163 की 0.08 हेक्टर, खसरा नंबर 164 की 0.23 हेक्टर, खसरा नंबर 207 की 0.21 हेक्टर, खसरा नंबर 208 की 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 209 की 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 210 की 0. 26 हैक्टर, खसरा नंबर 211 की 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 212 की 0.19 हैक्टर, खसरा नंबर 213 की 0.20 हैक्टर कुल 14 किता की 2–72 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 01 व 02 तथा लछमा का 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी अपीलांट अपने 2/3 हिस्से के अनुसार भूमि पर काबिज चला आ रहा है किन्तु प्रतिपक्षी रेस्पो0 प्रार्थी कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी जिसको रोका जाना आवश्यक है इस आधार पर प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर खारिज करने में त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि सहखातेदारान को बिना विभाजन कराये प्रार्थी अपीलांट के कब्जे की भूमि को बेचान करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजुद भी प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार न कर खारिज करने में त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलांट ने तीनो बिन्दू प्राइमा फेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दू को प्रमाणित कर दिया किन्तु उसे प्रमाणित न मान कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को अनदेखा कर व अपीलांट के कथनों पर विश्वास न कर प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य

पर ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो अपीलांट प्रार्थी को अपार क्षति होगी और अपने अधिकारों से वंचित होना पडेगा और प्रतिपक्षी रेस्पो0 नं0 01 व 02 अवैध रूप से उक्त भूमि को बेचान करने में सफल हो जावेगा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त होने योग्य है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन करते हुए कहा कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.07.2023 का निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार फरमाया जावे तथा ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिपक्षी रेस्पो0 01 व 02 विवादित आराजी को बिना विभाजन किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व रहन बेचान नहीं करे। प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे ओर उक्त कृत्य न ता स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.07.2023 अंतरिम प्रकृति का आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण को अभी नहीं सुना गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अपीलांट को अपना संपूर्ण पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने का अवसर विद्यमान है। जहाँ तक अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है, अतः इस पर शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करवाया जाए। हमारे मत में अधिवक्ता अपीलांट के प्रकरण अर्जेन्ट नेचर के कथन को संज्ञान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करना चाहिए। अतः पत्रावली इसी स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को सुनकर यथासंभव 45 दिवस में प्रकरण का गुणावगुण पर विधिसम्मत रूप से निस्तारण करते हुए अंतिम निर्णय पारित करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा